रजिस्ट्री सं० डीएल०-33004/96

REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 76] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 6, 1997/माघ 17, 1918
No. 76] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 6, 1997/MAGHA 17, 1918

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नइ दिल्ली, 6 फरवरी, 1997

का. आ. 88 (अ)—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में झींगापालन उद्योग से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए जलकृषि प्राधिकरण नामक एक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:—

(1) .....
(केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त एक न्यायाधीश) अध्यक्ष

(2) .....
(केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला जलकृषि के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ) सदस्य

(3) .....
(केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ) सदस्य

(4) .....
(केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ) सदस्य

(5) .....
(केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला पर्यावरण और वन मंत्रालय का एक प्रतिनिधि) सदस्य

(6) .....
(केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला कृषि मंत्रालय का एक प्रतिनिधि) सदस्य

(7) .....
(केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला वाणिज्य मंत्रालय का एक प्रतिनिधि) सदस्य

(8) .....
(केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला) सदस्य-सचिव

प्राधिकरण निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्—

(i) पर्यावरण (संरक्षण अधिनियम, 1986 की धरा 5 के अधीन उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v),(vi),(vii),(viii),(ix)और (xii) में निर्दिष्ट मामलों की बाबत अध्युपाय करने और निदेश जारी करने के लिए शक्तियों का प्रयोग करना,

(ii) तटीय विनियमन जोन अधिसूचना सं.का.आ.114(अ), तारीख 19-2-91 के अनुसार संबंधित तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तैयार किए गए तटीय जोन प्रबन्ध रेखांकों में अभ्यंकित तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों और चिलका झील तथा पुलिकेट झील के संबंध में 1000 मीटर तक परम्परागत तथा परम्परागत प्रकार की उन्नत प्रोद्यौगिकियों (अल्गारस्वामी की रिपोर्ट में परिभाषित), जो निम्नस्थ तटीय क्षेत्रों में अपनाई जाती है, के सिवाए 31 मार्च, 1997 तक सभी विद्यमान जलकृषि क्रियाकलापों को बन्द करने, तोड़ डालने तथा हटाने के लिए कदम उठाना और उन्हें सुनिश्चित करना,

(iii) यह सुनिश्चित करना कि तटीय विनियमन जोन और चिल्का झील तथा पुलिकेट झील (पक्षी अभ्यारर्ण्य अर्थात यदुरापट्टु और नेलापट्टु सहित) के 1000 मीटर तक कोई झींगापालन तालाब निर्मित या स्थापित नहीं किया जाए,

(iv) यह सुनिश्चित करना और उन कृषकों को अनुमोदन देना जो वर्द्धित उत्पादन के लिए उन्नत प्रोद्यौगिकी के अपनाए जाने के लिए जलकृषि की पारंपरिक और उन्नत पारंपरिक प्रणालियों का प्रचालन कर रहे हैं;

(v) यह सुनिश्चिन करना कि कृषि भूमि, नमक क्यारी भूमि, कच्छ वनस्पति, गीली भूमि, वन भूमि, ग्राम के सामान्य प्रयोजनों के लिए भूमि का उपयोग झींगापालन तालाबों के लिए नहीं किया जाएगा अथवा उनके सन्निर्माण के लिए उन्हें संपरिवर्तित नहीं किया जाएगा;

(vi) 1994 की रिट याचिका (सी.) सं. 561 में पारित उच्चतम न्यायालय के ता. 11-12-1996 के आदेश में वर्णित प्रक्रिया को अंगीकार करते हुए प्राधिकरण एहतियाती सिद्धान्त और "प्रदूषक संदाय कर सिद्धान्त" को क्रियान्वित करेगा;

(vii) प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन क्षेत्र के बाहर और पुलिकेट झील तथा चिल्का झील से 1000 मीटर की दूरी पर झींगा पालन क्रियाकलाप को विनियमित करेगा और 30 अप्रैल, 1997 तक आवश्यक अनुमोदन प्राधिकार भी देगा;

(viii) प्राधिकरण, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, नागपुर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली, सम्बद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों जैसे विशेषज्ञ निकायों के परामर्श से, तटीय राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में प्रदूषण से पारिस्थितिकी और पर्यावरण की हुई क्षति की पुर्ति करने के लिए स्कीम/ स्कीमों को विरचित करेगा।

(ix) प्राधिकरण, 1994 की रिट याचिका (सी) सं. 561 में, 11-12-1996 को पारित उच्चतम न्यायालय के आदेश में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार झींगापालन उद्योगों में नियोजित कर्मकारों को प्रतिकर संदाय सुनिश्चित करेगा;

(x) सम्बद्ध उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सुसंगत आदेशों का अनुपालन करना;

(xi) झींगा पालन खेती के प्रति निर्देश, से तटीयों क्षेत्रों से संबंधित किन्हीं अन्य सुसंगत पर्यावरणीय मामलों से निपटना, जिनमें केंद्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट मामले भी सम्मिलित है।

3. प्राधिकरण की अधिकारिता सभी तटीय राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों पर होगी।

4 तटीय राज्यों और संघ राजयक्षेत्रों में प्रदूषण से हुई क्षति की पूर्ति करने के लिए प्राधिकरण द्वारा विरचित स्कीम/स्कीमों को, केंद्रीय सरकार के पर्यावेक्षण के अधीन सम्बद्ध राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा निष्पादित किया जाएगा।

5 प्राधिकरण, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कृत्य करेगा और इसका मुख्यालय दिल्ली में होगा।

6 अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें वे होंगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाएं।

[फा. सं एल. 11011(12) 94-आईए-III]

आर. एच. ख्वाजा, संयुक्त सचिव